

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



पंजीकृत पावती उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस

Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of Regional Controller of Mines

Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A

Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/जूना/चू.प-158160 Mine code 38GUJ08022 ID

दिनांक:

सेवा में : सर्वश्री GHCL लि

सूत्रापाडा- 362 275

तालुका - वेरावल, जिला - गिर सोमनाथ, गुजरात

e mail – mining@ghcl.co.in

विषय: गुजरात राज्य के जिले- जूनागढ़ की तालुका- मालिया हटीना में स्थित आपकी भांडूरी चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 10.69 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.09.2024 को सुश्री खुशबू भू-वैज्ञानिक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

| नियम सं. | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा |
|------------------------------------|--|
| 11(1) | इस कार्यालय के पत्र संख्या MCDR-MPCP0CaFI/64/2023-GNRIBM_RO_GNR MP-533, दिनांक 15.02.2024 के द्वारा अनुमोदित संशोधित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित संशोधित खनन योजना के बिन्दु संख्या 6.2.3.2 के अनुसार वर्ष 2023-24 में वृक्षारोपण की Survival rate 90% रखे जाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय Survival rate 50% ही पायी गयी। |
| 45(5) (c) read with 45(7) | वर्ष 2023-24 के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की संवीक्षा में निम्न कमी पाई गई है - (१) पार्ट - V के बिन्दु संख्या 1 में 6 Bore hole करना दर्शाया गया है, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि ये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। |

०२. In this connection, it is brought to your kind notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 62 of MCDR 2017.

०३. Mining operations can be suspended as per rule 11(2) in case of non-compliance of above relevant rules of MCDR 2017 as these above rules also affect the rule 11(1) i.e. Systematic scientific and responsible mining and/or state Government may be informed to take actions as per competent directives.
०४. You are also liable to pay **per day** amount for such days as per **Schedule-II**, read with Rule 45(7A) in case of non-compliance of various provisions of Rule 45.
०५. As per provision of Rule 45(7) and/or 45(7A)(ii) the Regional Controller of Mines may take appropriate action including order of suspension of **all mining operations and dispatches** on non-compliance of various provisions of Rule 45.
०६. In context to the violations of Rule 45, this letter has been considered as show cause notice where you are advised to rectify above violation immediately. You are therefore directed to show cause within a period of 30 days from the date of issue of this letter as to why the action under Rule 45(7) and/or 45(7A) shall not be taken against you. No further notice will be given to you in this regard.
०७. You are advised to rectify the above violation immediately and intimate the compliance position to this office, within 30 days in case of rule of 45 and within 45 days for other violated rules from date of issue of this letter.
०८. यह उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Manish Gupta

Date: 07-11-2024 10:47:57

(मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. खनिज सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर mms@ibm.gov.in को सूचनार्थ तथा वर्ष 2023-24 की वार्षिक विवरणी Refer back करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
३. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए लेख है कि निरीक्षण के समय सीमा स्तंभ आंशिक ही पाये गए।
४. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो